रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1479] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 9, 2012/श्रावण 18, 1934
No. 1479] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 9, 2012/SHRAVANA 18, 1934

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 2012

(आयकर)

का.आ. 1782(अ).—चूंकि करों के संबंध में सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए भारत गणराज्य की सरकार और गुअर्नसे राज्य के बीच लंदन में 20 दिसम्बर, 2011 को एक करार पर हस्ताक्षर किए गए थे (जिसे इसके बाद कथित करार कहा गया है)।

और चूंकि, उक्त करार के प्रवृत्त होने की तारीख 11 जून, 2012 है, जो कि करार के अनुच्छेद 14 के पैराग्राफ 2 के अनुसार, करार को लागू करने के लिए संबंधित कानूनों द्वारा यथा अपेक्षित प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए अधिसूचनाओं में से बाद की अधिसूचना की तारीख है।

इसलिए, अब, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि भारत गणराज्य की सरकार और गुअर्नसे राज्य के बीच करों के बारे में सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए इसके साथ संलग्न उक्त करार के सभी उपबंध भारत संघ में दिनांक 11 जून, 2013, जो उपर्युक्त करार के प्रवृत्त होने की तारीख है, से लागू होंगे।

[अधिसूचना सं. 30/2012/फा. सं. 503/1/2009-एफटीडी-I]

सजय कुमार मिश्रा, संयुक्त सचिव

करों के संबंध में सूचना के आदान-प्रदान हेतु

भारत गणराज्य की सरकार

और

स्टेट आफ गुअर्नसे

के बीच करार

जबकि भारत गणराज्य की सरकार और स्टेट आफ गुअर्नसे (संविदाकारी पक्ष), करों के संबंध में सूचना के आदान-प्रदान को अधिशासित करने वाली निबंधनों एवं शर्तों को सुगम एवं सुकर बनाने का इच्छुक हैं,

जबकि यह स्वीकृत है कि स्टेट आफ गुअर्नसे को युनाइटेड किंगडम से सुपुर्दगी की शर्तों के अंतर्गत स्टेट आफ गुअर्नसे से वार्त्ता करने, निष्पन्न करने, निष्पादन करने तथा इस करार की शर्तों के अध्यधीन भारत गणराज्य की सरकार के साथ कर सूचना के आदान-प्रदान संबंधी करार को समाप्त करने का अधिकार है;

अतः, अब संविदाकारी पक्ष निम्नलिखित करार को, जिसमें केवल संविदाकारी पक्षों की ओर से बाध्यताएं शामिल हैं, निष्पन्न करने के लिए सहमत हुए हैं;

अनुच्छेद 1
करार का उद्देश्य एवं कार्य-क्षेत्र

संविदाकारी पक्ष अपने सक्षम प्राधिकारियों के माध्यम से सूचना के आदान-प्रदान के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराएंगे, जो कि इस करार के अंतर्गत आने वाले करों के संबंध में संविदाकारी पक्षों के घरेलू कानूनों के प्रशासन एवं प्रवर्तन हेतु व्यवहार्य रूप से सुसंगत हैं। ऐसी सूचना में वह जानकारी शामिल होगी जो ऐसे करों के निर्धारण, मूल्यांकन और वसूली, कर दावों की वसूली और प्रवर्तन अथवा कर मामलों की जांच-पड़ताल या अभियोजन के लिए सुसंगत है । इस करार के उपबंधों के अनुसार सूचना का आदान-प्रदान किया जाएगा । अनुरोधित पक्ष के कानूनों अथवा प्रशासनिक प्रथा द्वारा व्यक्तियों को प्राप्त कराए गए अधिकार और रक्षोपाय उस सीमा तक प्रयोज्य रहेंगे जहां तक कि वे सूचना के प्रभावी आदान-प्रदान में अनुचित रूप से बाधा न डाले अथवा उसे विलम्बित न करें ।

अनुच्छेद 2
क्षेत्राधिकार

सूचना का आदान-प्रदान इस करार के अनुसार किया जाएगा, इस बात का ध्यान किए बिना कि वह व्यक्ति जिससे यह सूचना संबंधित है अथवा जिसके द्वारा सूचना धारित की गई है, किसी एक संविदाकारी पक्ष का निवासी है । तथापि, अनुरोधित पक्ष ऐसी सूचना को उपलब्ध कराने के लिए बाध्यकारी नहीं है जो न तो उसके प्राधिकारियों के पास है और न ही उन व्यक्तियों के पास अथवा नियंत्रण अथवा उनके द्वारा प्राप्य है, जो उसके राज्य-क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार में हैं ।

अनुच्छेद 3
सम्मिलित कर

1. कर, जो इस करार के विषय हैं, इस प्रकार हैं :

क) भारत में, केन्द्रीय सरकार अथवा राजनीतिक उप-प्रभागों अथवा स्थानीय प्राधिकारियों की सरकारों द्वारा लगाए गए प्रत्येक प्रकार तथा विवरण के कर, इस बात का विचार किए बिना कि वे किस तरीके से लगाए गए हैं ;

ख) गुअर्नसे में, परामर्शी राज्य द्वारा लगाए गए प्रत्येक प्रकार और विवरण के कर ।

2. यह करार, विद्यमान करों के अतिरिक्त अथवा उनके स्थान पर इस करार के हस्ताक्षरित होने की तारीख के बाद लगाए गए किन्हीं समरूप अथवा पर्याप्त रूप से समान करों पर भी लागू होगा । संविदाकारी पक्षों के सक्षम प्राधिकारी कराधान और संबंधित सूचना एकत्र करने वाले उपायों के संबंध में किन्हीं महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बारे में एक-दूसरे को अधिसूचित करेंगे, जो इस करार के अनुसरण में उस पक्ष की बाध्यताओं को प्रभावित कर सकते हैं ।

अनुच्छेद 4
परिभाषाएं

इस करार के प्रयोजनार्थ, जब तक कि अन्यथा परिभाषित न किया जाए :

क) भारत से तात्पर्य भारत का भू-क्षेत्र और इसमें सीमांतर्गत समुद्र और उसके ऊपर का हवाई क्षेत्र तथा कोई अन्य समुद्रवर्ती क्षेत्र है जिस पर भारतीय कानून के अनुसार तथा समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र के अभिसमय सहित अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार भारत का प्रभुसत्ता सम्पन्न अधिकार, अन्य अधिकार और क्षेत्राधिकार हैं ,

ख) गुअर्नसे से तात्पर्य गुअर्नसे, एल्डर्ने और हेर्म से है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार उन द्वीपसमूहों के निकटवर्ती समुद्री भू-क्षेत्र शामिल है ;

ग) सामूहिक निवेश निधि अथवा योजना से तात्पर्य सामूहिक निवेश के साधन से है चाहे उसका कानूनी रूप कुछ भी हो ;

घ) कम्पनी से तात्पर्य कोई निगमित निकाय अथवा कोई सत्ता है जिसे कर प्रयोजनों के लिए एक निगमित निकाय माना जाता ह ;

ङ) सक्षम प्राधिकारी से तात्पर्य -

(i) भारत के मामले मे, वित्त मंत्री, भारत सरकार अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि हैं ;

(ii) गुअर्नसे के मामले में, आयकर निदेशक अथवा उसका प्रतिनिधि ;

च) अपराधिक कर मामलों का तात्पर्य इस करार के लागू होने से पहले अथवा बाद में उन कर मामलों से है जिसमें अभिप्रेत संव्यवहार शामिल है,जिस पर आपराधिक कानूनों अथवा अनुरोधकर्त्ता पक्ष के इस करार द्वारा शामिल किए गए करों से संबंधित कानूनों के तहत अभियोजन चलाया जा सकता है ;

छ) सूचना से तात्पर्य कोई तथ्य, विवरण, दस्तावेज अथवा रिकार्ड से है, चाहे वह किसी भी रूप में हो ;

ज) सूचना एकत्र करने वाले उपाय से तात्पर्य कानूनी और प्रशासनिक अथवा न्यायिक कार्य प्रक्रियाओं से है जो किसी संविदाकारी पक्ष को अनुरोध की गई जानकारी प्राप्त करने और उपलब्ध कराने में सक्षम बनाते हैं ;

झ) व्यक्ति में कोई व्यक्ति, कोई कम्पनी, व्यक्तियों का निकाय और कोई अन्य सत्ता शामिल है जिसे संबंधित संविदाकारी पक्षों में प्रवृत्त कराधान कानूनों के तहत कराधेय इकाई के रूप में माना जाता है ;

ञ) शेयरों का प्रमुख वर्ग से तात्पर्य वोट देने की शक्ति और कम्पनी के मूल्य के बहुमत का प्रतिनिधित्व करने वाले शेयरों के वर्ग अथवा वर्गों से है ;

ट) सार्वजनिक सामूहिक निवेश निधि अथवा योज्ना से तात्पर्य किसी सामूहिक निवेश निधि अथवा योजना से है बशर्ते कि ऐसी निधि अथवा योजना में यूनिटों, शेयरों अथवा अन्य हितों को जनता द्वारा सहज ही खरीदा, बेचा अथवा पुन· प्राप्त किया जा सकता है । निधि अथवा योजना में यूनिटों, शेयरों अथवा अन्य हितों को जनता द्वारा सहज ही खरीदा, बेचा अथवा पुनः प्राप्त किया जा सकता है यदि ऐसी खरीद, बिक्री अथवा पुनः प्राप्ति प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः निवेशकों के सीमित समूह तक ही प्रतिबंधित न हों ;

ठ) सार्वजनिक रूप से व्यापार करने वाली कम्पनी से तात्पर्य ऐसी किसी कम्पनी से है जिसके शेयरों का प्रमुख वर्ग किसी मान्यता-प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध है बशर्ते उसके सूचीबद्ध शेयर सहज ही जनता द्वारा क्रय अथवा विक्रय किए जा सकते हों । शेयर जनता द्वारा क्रय अथवा विक्रय तभी किए जा सकते हैं यदि शेयरों का यह क्रय अथवा विक्रय प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः निवेशकों के सीमित समूह तक ही प्रतिबंधित न हों ;

ड) मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज से तात्पर्य है -

(i) भारत में, भारत के प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा मान्यता-प्राप्त राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज और कोई अन्य स्टॉक एक्सचेंज ;

(ii) गुर्अनसे म, चैनल आइलैण्ड स्टॉक एक्सचेंज और ;

(iii) कोई अन्य स्टॉक एक्सचेंज, जिसे सक्षम प्राधिकारी इस करार के प्रयोजनार्थ मान्यता देने के लिए सहमत हों ।

ढ) अनुरोधित पक्ष से तात्पर्य उस संविदाकारी पक्ष से है जिससे सूचना उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाता है अथवा जिसने सूचना उपलब्ध कराई है ;

ण) अनुरोध करने वाले पक्ष से तात्पर्य, उस संविदाकारी पक्ष से है जो अनुरोधित पक्ष से सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध प्रस्तुत करता है अथवा उनसे सूचना प्राप्त करता है ;

त) कर से तात्पर्य ऐसा कर है, जिस पर यह करार लागू होता है ।

2. जहां तक किसी संविदाकारी पक्ष द्वारा किसी भी समय इस करार को लागू किए जाने का संबंध है, इसमें परिभाषित न किए गए किसी पद का, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, अथवा सक्षम प्राधिकारी इस करार के अनुच्छेद -12 के उपबंधों के अनुसरण में किसी आम अर्थ पर सहमत न हो, वही अर्थ होगा जो उस पक्ष के कानून के तहत उस समय हो, उस संविदाकारी पक्ष के प्रयोज्य कर कानूनों के अंतर्गत कोई अर्थ उस संविदाकारी पक्ष के अन्य कानूनों के तहत पद को दिए गए अर्थ की तुलना में अभिभावी रहता है ।

अनुच्छेद 5
अनुरोध पर सूचना का आदान-प्रदान

1. अनुरोध किए जाने पर अनुरोधित पक्ष का सक्षम प्राधिकारी अनुच्छेद 1 में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए सूचना उपलब्ध कराएगा । ऐसी सूचना का आदान-प्रदान इस बात का

विचार किए बिना किया जाएगा कि क्या अनुरोध करने वाले पक्ष को ऐसी सूचना की आवश्यकता अपने स्वयं के कर-प्रयोजनों के लिए है अथवा क्या वह आचरण जिसकी जांच-पड़ताल की जा रही है, वह अनुरोधित पक्ष के अंतर्गत अपराध होगा यदि ऐसा आचरण अनुरोधित पक्ष के क्षेत्राधिकार में घटित होता है । अनुरोधकर्त्ता पक्ष का सक्षम प्राधिकारी केवल इस अनुच्छेद के अनुपालन में सूचना हेतु अनुरोध करेगा, जब अनुरोधित सूचना को दूसरे उपायों से प्राप्त करना अक्षम हो, सिवाय उसके, जहां ऐसे उपायों का सहारा अनुपातहीन मुश्किल बढ़ाता हो ।

2. यदि अनुरोधित पक्ष के सक्षम प्राधिकारी के आधिपत्य में कोई सूचना पर्याप्त रूप से इस प्रकार उपलब्ध नहीं है कि वह सूचना के लिए किए गए अनुरोध को पूरा करने में समर्थ हो तो वह अनुरोधित पक्ष, अनुरोध करने वाले पक्ष को अनुरोधित सूचना को उपलब्ध कराने के लिए सभी प्रासंगिक सूचना एकत्र करने के उपायों का प्रयोग करेगा इस बात के होते हुए भी कि अनुरोधित पक्ष को ऐसी सूचना की आवश्यकता अपने स्वयं के कर प्रयोजनों के लिए नहीं भी हो सकती है ।

3. यदि अनुरोध करने वाले पक्ष के सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष रूप से अनुरोध किया जाता है तो अनुरोधित पक्ष का सक्षम प्राधिकारी गवाहों के अभिसाक्ष्य तथा मूल रिकार्डों की अधिप्रमाणित प्रतियों के रूप में अपने घरेलू कानूनों के तहत अनुज्ञेय सीमा तक, इस अनुच्छेद के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराएगा ।

4. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि उसके सक्षम प्राधिकारी को, इस करार के प्रयोजनार्थ अनुरोध पर निम्न को प्राप्त करने और उपलब्ध कराने का प्राधिकार है :

क) बैंकों, अन्य वित्तीय संस्थानों, किसी एजेंसी अथवा न्यासी क्षमता में कार्य कर रहे किसी व्यक्ति, जिसमें नामजद व्यक्ति और न्यासी भी शामिल है, द्वारा धारित कोई सूचना ;

ख) कम्पनियों के कानूनी और लाभग्राही स्वामित्व, भागीदारी, सामूहिक निवेश निधियाँ अथवा स्कीमें, न्यास, फाउंडेशन, आन्सटालटन और अन्य व्यक्ति, संबंधी सूचना जिनमें अनुच्छेद 2 की सीमाओं के अंतर्गत किसी स्वामित्व श्रृंखला में सभी ऐसे व्यक्तियों की स्वामित्व सूचना ;

ग) सामूहिक निवेश निधियों अथवा स्कीमों के मामले में, शेयरों, यूनिटों और अन्य हितों के बारे में सूचना; न्यासों के मामले में अवस्थापक, संरक्षकों न्यासियों और लाभभोगियों के संबंध में सूचना, संस्था के मामले में संस्थापकों, संस्था परिषद के सदस्यों और लाभग्राहियों के बारे में सूचना ; और ऐसी सत्ताओं के बारे में ऐसी ही जानकारी जो न तो न्यास हैं और न ही संस्था है ।

5. यह करार सार्वजनिक रूप से व्यापार करने वाली कम्पनियों अथवा सार्वजनिक सामूहिक निवेश निधियों अथवा स्कीमों के संबंध में स्वामित्व संबंधी सूचना प्राप्त करने अथवा उपलब्ध कराने के लिए संविदाकारी पक्षों को बाध्य नहीं बनाती जब तक कि ऐसी सूचना विषम कठिनाईयाँ उत्पन्न किए बिना प्राप्त की जा सकती हो ।

6. अनुरोध करने वाले पक्ष के सक्षम प्राधिकारी अनुरोध के लिए सूचना की अनुमानित प्रासंगिकता का प्रदर्शन करने के लिए करार के तहत सूचना के लिए अनुरोध करते समय अनुरोध किए जाने वाले पक्ष के सक्षम प्राधिकारी को निम्नलिखित सूचना उपलब्ध कराएंगे :

क) जांच अथवा पूछताछ किए जाने वाले व्यक्ति की पहचान ;

ख) नह अवधि. जिसके लिए सूचना का अनुरोध किया गया है ;

ग) अनुरोध की गई सूचना का स्वरूप तथा वह प्रारूप जिसमें अनुरोध करने वाला पक्ष उसे प्राप्त करने को प्राथमिकता देगा ;

घ) कर प्रयोजन जिसके लिए सूचना मांगी गई है ;

ड.) यह विश्वास करने के कारण कि अनुरोध की गई सूचना अनुरोधित पक्ष के पास है अथवा अनुरोधित पक्ष के क्षेत्राधिकार के भीतर किसी व्यक्ति के अधिकार अथवा नियंत्रण अथवा उसके द्वारा प्राप्य है ;

च) जहां तक ज्ञात हो किसी व्यक्ति का नाम और पता, जिसके पास अनुरोधित सूचना होने अथवा उसके नियंत्रण में होने अथवा प्राप्त करने का अनुमान है और

छ) एक विवरण यह बताते हुए कि यह अनुरोध, अनुरोधकर्त्ता पक्ष के कानूनों और प्रशासनिक पद्धतियों के अनुरूप है, और यह कि यदि अनुरोधित सूचना अनुरोधकर्त्ता पक्ष के क्षेत्राधिकार में थी तो अनुरोधकर्त्ता पक्ष का सक्षम प्राधिकारी अनुरोधकर्त्ता पक्ष के कानूनों क तहत अथवा प्रशासनिक पद्धति की सामान्य प्रक्रिया के तहत सूचना प्राप्त करने में सक्षम होगा यह इस कार के अनुरूप है ; और

यह विवरण देते हुए कि अनुरोधकर्त्ता पक्ष ने सूचना को प्राप्त करने के लिए अपने स्वयं के राज्यक्षेत्र में उपलब्ध सभी साधन अपनाए हैं, सिवाए उनके, जो अत्यधिक कठिनाईयों को बढ़ाएंगे ।

7. अनुरोधित पक्ष का सक्षम प्राधिकारी अनुरोधकर्त्ता पक्ष के सक्षम प्राधिकारी के अनुरोध को स्वीर करेगा और अपने बेहतर प्रायासों से शीघ्रातिशीघ्र अनुरोधित सूचना को अनुरोधकर्त्ता पक्ष को अग्रेषित करेगा ।

अनुच्छेद 6
विदेश में कर जांच

1. अनुरोधकर्त्ता पक्ष के सक्षम प्राधिकारी के कम से कम 14 दिन पहले किए गए अनुरोध पर अनुरोधित पक्ष, अनुरोधकर्त्ता पक्ष के सक्षम प्राधिकारी के प्रतिनिधियों को अपने अन्तरदेशीय कानूनों के तहत अनुमत्य सीमा तक, व्यक्तियों अथवा अन्य संबंधित व्यक्तियों की पूर्व लिखित सहमति से व्यक्तियों के साक्षात्कार हेतु और रिकार्डों की जांच करने के लिए अनुरोधित पक्ष के राज्यक्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति दे सकता है । अनुरोधकर्त्ता पक्ष का सक्षम प्राधिकारी, संबंधित व्यक्तियों के साथ अभिप्रेत बैठक के समय एवं स्थान के बारे में अनुरोधित पक्ष के सक्षम प्राधिकारी को अधिसूचित करेगा ।

2. अनुरोधकर्त्ता पक्ष के सक्षम प्राधिकारी के अनुरोध पर, अनुरोधित पक्ष, अनुरोधकर्त्ता पक्ष के सक्षम प्राधिकारी के प्रतिनिधियों को अनुरोधित पक्ष में कर जांच के उपयुक्त भाग में प्रस्तुत रहने की अनुमति दे सकता है, जिस मामले में अनुरोधित पक्ष के जांच कर रहे सक्षम प्राधिकारी, जांच के संबंध में समय एवं स्थान, जांच करने के लिए प्राधिकारी अथवा नामोदिष्ट अधिकारी तथा जांच कार्य आरंभ करने के लिए अनुरोधित पक्ष द्वारा अपेक्षित शर्तों एवं प्रक्रियाओं के बारे में अनुरोधकर्त्ता पक्ष के सक्षम प्राधिकारी को शीघ्रातिशीघ्र अधिसूचित करेगा । कर जांच करने के संबंध में सभी निर्णय जांच संचालित करने वाले अनुरोधित पक्ष द्वारा किए जाएंगे ।

अनुच्छेद 7
सूचना हेतु अनुरोध को अस्वीकार करने की संभावना

1. अनुरोधित पक्ष का सक्षम प्राधिकारी निम्न के संबंध में सहायता करने के लिए मना कर सकता है :

क) जहां अनुरोध इस करार के अनुरूप नहीं किया गया हो ; अथवा

ख) जहां अनुरोधकर्त्ता पक्ष ने सूचना को प्राप्त करने के लिए अपने राज्यक्षेत्र में उपलब्ध सभी साधनों का अनुप्रयोग नहीं किया हो, सिवाय उनके जहां ऐसे साधनों का आश्रय लेने से अत्यधिक कठिनाई उत्पन्न होगी ; अथवा

ग) जहां सूचना का प्रकटन अनुरोधित पक्ष की लोक नीति (ऑर्डर पब्लिक) के प्रतिकूल होगा ।

2. यह करार एक संविदाकारी पक्ष पर निम्न बाध्यता को अधिरोपित नहीं करेगा :

क) ऐसी सूचना देना जो किसी व्यापारिक, कारोबारी, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा व्यावसायिक गोपनीयता अथवा व्यापार प्रक्रिया को प्रकट करेगी, बशर्ते कि अनुच्छेद 5 के पैराग्राफ 4 में वर्णित सूचना को सिर्फ इस कारण से ऐसे गुप्त अथवा व्यापार प्रक्रिया के रूप में नहीं समझा जाएगा कि यह उस पैराग्राफ में वर्णित मापदण्ड को पूरा करती है ; अथवा

ख) ऐसी सूचना प्राप्त करना अथवा प्रदान करना जो कानूनी विशेषाधिकार के तहत हो, जैसा कि संगत संविदाकारी पक्ष के घरेलू कानून के तहत व्यवस्था की गई है ; अथवा

ग) प्रशासनिक उपाय करना जो इसके कानूनों और प्रशासनिक प्रथा से हटकर हों, बशर्ते कि इस उप पैराग्राफ में कुछ भी अनुच्छेद 5 के पैराग्राफ 4 के अंतर्गत एक संविदाकारी पक्ष की बाध्यताओं पर कोई प्रभाव डालेगा ।

3. सूचना हेतु अनुरोध को इस आधार पर मना नहीं किया जाएगा कि कर दावा जिसके कारण अनुरोध किया गया है, विवादित है ।

4. अनुरोधित पक्ष से उस सूचना को प्राप्त करने अथवा प्रदान करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी जिसे अनुरोधकर्त्ता पक्ष प्रशासनिक प्रयोजन के लिए अथवा अपने स्वयं के कर कानूनों को लागू करने के लिए अथवा इस करार के अंतर्गत अनुरोधित पक्ष से वैध अनुरोध के प्रत्युत्तर में अपने स्वयं के कानूनों के तहत इसी तरह की परिस्थितियों में प्राप्त करने के लिए असमर्थ होगा ।

5. अनुरोधित पक्ष सूचना हेतु अनुरोध को उस स्थिति में इंकार कर सकता है यदि सूचना के लिए अनुरोध आवेदन पक्ष द्वारा आवेदन पक्ष के कर कानून के ऐसे उपबंध को अथवा उससे जुड़े किसी अपेक्षा को संचालित अथवा लागू करने के लिए किया जाता है, जो

अनुरोधित पक्ष के राष्ट्रिक अथवा नागरिक के प्रति उन्हीं परिस्थितियों में आवेदक पक्ष के एक राष्ट्रिक अथवा नागरिक की तुलना में पक्षपात करता है ।

अनुच्छेद 8
विधान का कार्यान्वयन

संविदाकारी पक्ष करार की शर्तों का अनुपालन करने और उसे प्रवर्तित करने के लिए किसी आवश्यक विधान को अधिनियमित करेंगे ।

अनुच्छेद 9
गोपनीयता

1. संविदाकारी पक्षों के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा मुहैया कराई गई और प्राप्त की गई समस्त सूचना को गोपनीय रखा जाएगा ।

2. ऐसी सूचना को अनच्छेद 1 में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से संबंधित केवल उन व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों (जिसमें न्यायालय और प्रशासनिक निकाय शामिल हैं) को प्रकट किया जाएगा और इसे केवल ऐसे व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों द्वारा ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जाएगा जिसमें किसी अपील का निर्धारण शामिल है । इन प्रयोजनों के लिए सूचना को लोक अदालत कार्यवाहियों में अथवा न्यायिक निर्णयों में प्रकट किया जा सकता है ।

3. ऐसी सूचना को अनुरोधित पक्ष के सक्षम प्राधिकारी की लिखित सहमति के बगैर अनुच्छेद 1 में बताए गए प्रयोजन से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता ।

4 इस करार के तहत अनुरोधकर्ता पक्ष को उपलब्ध कराई गई सूचना को किसी अन्य न्याय-निर्णयन में प्रकट नहीं किया जा सकता ।

अनुच्छेद 10
लागतें

1. जब तक कि संविदाकारी पक्षों के सक्षम प्राधिकारी अन्यथा सहमत न हों, सहयोग देने में उपगत सामान्य लागतों को अनुरोधित पक्ष द्वारा वहन किया जाएगा और इस अनुच्छेद के उपबंधों के अध्यधीन, सहयोग देने में उपगत असाधारण लागतों को, (जिसमें मुकदमेबाजी के संबंध में बाहरी सलाहकारों की नियुक्ति की लागतें अथवा अन्यथा, अनुरोध को पूरा करने में आवश्यक लागतें शामिल हैं) यदि वे 500 अमेरिकी डालर से अधिक हो जाती हैं, अनुरोधकर्ता पक्ष द्वारा वहन किया जाएगा ।

2. किसी विशिष्ट मामले में, जहां असाधारण लागतों की 500 अमेरिकी डालर से अधिक होने की संभावना हो, सक्षम प्राधिकारी, पहले ही, यह निर्धारित करने के लिए एक-

दूसरे से विचार-विमर्श करेंगे कि क्या अनुरोधकर्त्ता पक्ष अनुरोध करना जारी रखेगा और लागत को वहन करेगा ।

3. सक्षम प्राधिकारी इस अनुच्छेद के संबंध में समय-समय पर परामर्श करेंगे ।

अनुच्छेद 11
भाषा

सहायता हेतु अनुरोध और उनसे संबंधित प्रत्युत्तरों को अंग्रेजी में तैयार किया जाएगा ।

अनुच्छेद 12
पारस्परिक करार विधि

1. जहां संविदाकारी पक्षों के बीच करार को लागू करने अथवा उसकी व्याख्या करने के संबंध में कठिनाइयाँ अथवा संदेह उत्पन्न होते हैं वहां सक्षम प्राधिकारी पारस्परिक सहमति से मामले को हल करने का प्रयारा करेंगे । इसके अतिरिक्त संविदाकारी पक्षों के सक्षम प्राधिकारी इस करार के अनुच्छेद 5, 6 और 10 के तहत प्रयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं पर पारस्परिक रूप से सहमत होंगे ।

2. संविदाकारी पक्षों के सक्षम प्राधिकारी इस अनुच्छेद के अंतर्गत करार करने के प्रयोजनार्थ एक-दूसरे से सीधे ही बातचीत करेंगे ।

अनुच्छेद 13
प्रोतोकोल

संबद्ध प्रोतोकोल इस करार का अभिन्न अंग होगा ।

अनुच्छेद 14
प्रवृत्त होना

1. संविदाकारी पक्ष इस करार को प्रवृत्त करने के लिए अपनी प्रक्रियाओं के पूरा होने के बारे में लिखित में एक-दूसरे को अधिसूचित करेंगे ।

2. यह करार इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 में उल्लिखित अधिसूचनाओं में से बाद की अधिसूचना की तारीख को लागू होगा और निम्न पर तुरंत प्रभाव होगा -

(क) उस तारीख को आपराधिक कर मामलों के संबंध में ; और

(ख) उस तारीख को अनुच्छेद 1 में शामिल सभी मामलों के संबंध में, परंतु उस तारीख को अथवा उसके बाद आरम्भ होने वाली कराधेय अवधियों के लिए अथवा जहां कोई कराधेय अवधि नहीं है, वहां उस तारीख को अथवा उसके बाद उद्भूत सभी कर प्रभारों के लिए ।

अनुच्छेद 15
समापन

1. यह करार तब तक लागू रहेगा जब तक कि दोनों में से कोई एक संविदाकारी पक्ष इसे समाप्त नहीं कर देता है ।

2. दोनों में से कोई भी संविदाकारी पक्ष राजनयिक माध्यमों के जरिए दूसरे संविदाकारी पक्ष को इस करार के प्रवृत्त होने की तारीख से दो वर्षों के समाप्त होने के बाद समापन की एक लिखित सूचना भेज कर करार को समाप्त कर सकता है ।

3. इस तरह का समापन, दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा समापन के नोटिस की प्राप्ति की तारीख के बाद छह महीने की अवधि की समाप्ति के अनुवर्ती माह के प्रथम दिन को प्रभावी होगा । समापन की प्रभावी तारीख तक प्राप्त किए गए सभी अनुरोधों पर करार के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी ।

4. इस करार के समाप्त होने की स्थिति में, ऐसे समापन के होते हुए भी दोनों संविदाकारी पक्ष करार के अंतर्गत प्राप्त की गई किसी भी सूचना के संबंध में अनुच्छेद 9 के उपबंधों के तहत बाध्य होंगे ।

जिसके साक्ष्य में, इसके लिए विधिवत रूप से प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं ।

में वर्ष दो हजार ग्यारह के दिसंबर माह के बीसवें दिन प्रत्येक को हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषाओं में निष्पन्न किया गया है, दोनों पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं । अर्थ निरूपण में भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ प्रभावी माना जाएगा ।

भारत गणराज्य की
सरकार की ओर से

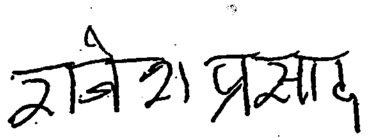

(राजेश एन. प्रसाद)
युनाइटेड किंगडम में भारत के
कार्यकारी उच्चायुक्त

स्टेट आफ गुअर्नसे
की ओर से

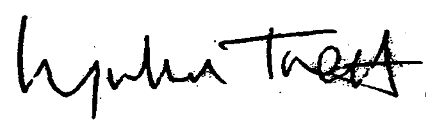

(डिप्टी लिंडन एस ट्रॉट)
मुख्यमंत्री, गुअर्नसे

प्रोतोकोल

भारत गणराज्य की सरकार और स्टेट आफ गुअर्नसे (संविदाकारी पक्ष) निम्नलिखित उपबंधों पर, जो इस करार के अभिन्न अंग के रूप में होंगे, पर करों के संबंध में सूचना के आदान-प्रदान हेतु, दोनों सरकारों के बीच करार पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हुए हैं ;

1) सक्षम प्राधिकारी करार के उन उपबंधों की व्याख्या करते समय जो उस आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) आदर्श करार में उपबंधों के समान हैं, आर्थिक सहयोग एवं विकास संबंधी संगठन के कर मामलों पर सूचना के आदान-प्रदान संबंधी करार, 2002 से संबंधित टीका-टिप्पणियों को ध्यान में रखेंगे ।

2) अनुच्छेद 5 के पैराग्राफ 7 के प्रयोजनार्थ, यह समझा जाता है कि अनुरोधित पक्ष के सक्षम प्राधिकारी :-

क) अनुरोधकर्त्ता पक्ष के सक्षम प्राधिकारी को लिखित में अनुरोध की प्राप्ति की पुष्टि करेंगे और अनुरोध की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर अनुरोध में विसंगतियाँ, यदि कोई हों, से अनुरोधकर्त्ता पक्ष के सक्षम प्राधिकारी को अधिसूचित करेंगे ;

ख) यदि अनुरोधित पक्ष का सक्षम प्राधिकारी अनुरोध की प्राप्ति के 90 दिनों के भीतर सूचना प्राप्त करने और प्रदान करने में असमर्थ होता है, जिसमें सूचना को पेश करने में आई बाधाएं शामिल हों अथवा सूचना प्रस्तुत करने से मना करे, तो वह अपनी असमर्थता के कारणों, बाधाओं के स्वरूप अथवा अपनी मनाही के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुरोधकर्त्ता पक्ष को तत्काल सूचित करेगा ।

3) करार के अनुच्छेद 10 में असाधारण लागत पद की निम्नानुसार व्याख्या की जाएगी :

क) असाधारण लागत के उदाहरणों में निम्नलिखित शामिल हैं, परन्तु उस तक सीमित नहीं है :

(i) अनुरोधकर्त्ता पक्ष के सक्षम प्राधिकारी को दस्तावेजों अथवा रिकॉर्डों को पुनः प्रस्तुत करने और भेजने की उचित लागतें ;

(ii) रिकॉर्ड के प्रतिलिपिकरण और सूचना के लिए विशिष्ट अनुरोध से संबंधित अनुसंधान हेतु वित्तीय संस्थान अथवा अन्य तीसरे पक्ष के रिकॉर्ड कीपर द्वारा लगाए गए उचित शुल्क ;

(iii) साक्षात्कारों, बयानों अथवा घोषणाओं के आशुलिपिकिय रिपोर्टो के लिए उचित लागतें

(iv) अनुप्रोज्य कानून के तहत स्वीकृत राशियों के अनुसार निर्धारित उस व्यक्ति की उचित फीस और खर्चे, जो विशेष सूचना अनुरोध से संबंधित साक्षात्कार, साक्ष्य अथवा गवाही हेतु भारत अथवा गुअर्नसे में स्वेच्छा से आएं ; और

(v) अनुरोधकर्त्ता पक्ष के सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी से नियुक्त अथवा प्रतिधारित गैर सरकारी वकील के लिए सूचना हेतु विशिष्ट अनुरोध से संबंधित अनुरोधित पक्ष के न्यायालयों में मुकदमा लड़ने के लिए उचित कानूनी फीस ;

ख) असाधारण लागत में अनुरोधित पक्ष द्वारा तथा अनुरोधकर्त्ता पक्ष द्वारा प्रस्तुत सूचना हेतु अनुरोधों के प्रत्युत्तर में एवं उनकी पुनरीक्षा करने में उपगत साधारण प्रशासनिक और ऊपरी खर्चे शामिल नहीं हैं ।'

भारत गणराज्य की
सरकार की ओर से

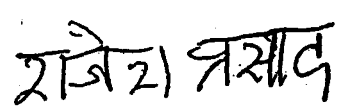

(राजेश एन. प्रसाद)
युनाइटेड किंगडम में भारत के
कार्यकारी उच्चायुक्त

स्टेट आफ गुअर्नसे
की ओर से

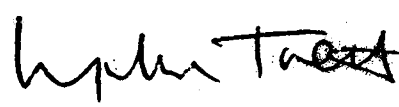

(डिप्टी लिंडन एस ट्रॉट)
मुख्यमंत्री, गुअर्नसे